(19)

न्यायालयः–उपखण्ड अधिकारी, सलुम्बर जिला–उदयपुर (राज.)

बजरिये श्री सुरेन्द्र बी पाटीदार आर.ए.एस

प्रकरण संख्या 34 / 2012

उनवान

1. श्री धुलजी पिता नाथु जी ब्राहम्ण उम्र बालिग
2. श्री नारायण पिता नाथु जी ब्राहम्ण उम्र बालिग
3. श्री गणेश पिता शिवरामजी ब्राहम्ण उम्र बालिग
4. श्री भगवान पिता शिवरामी ब्राहम्ण उम्र बालिग
5. श्रीमती मोती बाई पत्नी स्व. शिवरामजी ब्राहम्ण अम्र बालिग

सभी निवासी कपूरावतो का बाडा तहसील सलुम्बर जिला उदयपुर (राज.)

बनाम –प्रार्थीगण

1. श्री नाथूराम पिता गुलाबजी ब्राहम्ण उम्र बालिग
2. श्री तौलाराम पिता गुलाबजी ब्राहम्ण उम्र बालिग
3. श्री धलुजी पिता गुलाबजी ब्राहम्ण उम्र बालिग
4. श्री परसराम पिता गुलाबजी ब्राहम्ण उम्र बालिग
5. श्री गोविन्द पिता नाथुजी ब्राहम्ण उम्र बालिग
6. श्री पन्नालाल पिता नाथुजी ब्राहम्ण उम्र बालिग
7. श्री कानजी पिता मोतीरामजी ब्राहम्ण उम्र बालिग

सभी निवासी कपूरावतो का बाडा तहसील सलुम्बर जिला उदयपुर (राज.)

8. भूमिधारी तहसीलदार सलुम्बर जिला उदयपुर (राज.)

–विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 9 व धारा–151 जा.दी.

–::निर्णय::–

उपस्थितिः श्री गोपाल चौबिसा अधिवक्ता–प्रार्थीगण
श्री संजय मेहता अधिवक्ता–विपक्षी सं. 01
विपक्षी सं. 2,3,4,5,6,7 एक पक्षीय

दिनांकः–13.12.2022

प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 9 एवं धारा 151 जा.दी. को पेश कर अंकित किया कि उपरोक्त उनवान के वाद सं. 50 / 2010 रा.वा. मे दिनांक 30–10–2012 को माननीय न्यायालय आप मे सुनवाई नियत थी उस दिन वादीगण एवं उनके वकील श्री गौतमलालजी पटेल सुनवाई के समय उपस्थित नही होने से माननीय न्यायालय द्वारा उपरोक्त वाद अदम हाजरी एवं अदम पैरवी मे खारीज फरमाया गया है। दिनांक 30–10–2012 को वादीगण धुलजी एवं नारायण दोनो घर से सलुम्बर पेशी पर जाने हेतु पैदल चलकर खाई वावडी बस स्टेण्ड पर पहुचे परन्तु उनके पहुचने से पूर्व ही परसाद से सलुम्बर आने वाली बस निकल गई थी जिससे दोनो वादीगण जो वृद्ध व्यक्ति है पैदल चलने मे असमर्थ होने से दूसरी बस की इन्तजार मे बस स्टेण्ड पर बैठे रहे परन्तु बस समय पर नही आई जिससे दोनो वादीगण समय पर सलुम्बर पेशी पर उपस्थित नही हो सके थे। तथा वादी मोतीबाई महिला जिसे वकील साहब ने पूर्व मे यह कह रखा था कि आपको पेशी पर आने की आवश्यकता नही है जिससे मोतीबाई भी पेशी पर आने की आवश्यकता नही है जिससे मोतीबाई भी पेशी पर हाजीर नही हुई वादीगण ने पेशी पर हाजीर आने मे जान बूझकर कोई गलती नही की है। तथा उक्त दिनांक को

सहायक कलक्टर सलुम्बर
जिला-उदयपुर

वादीगण के वकील साहब श्री गौतमलालजी पटेल के सराडा न्यायालय मे ज्यादा मामलो मे पेशीया होने से पहले वे सराडा चले गये थे तथा सराडा से 12 बजे वे सलुम्बर आने हेतु रवाना हुये थे परन्तु रास्ते मे थरोडा गॉव के पास वकील साहब की कार खराब हो गई थी जिससे वकील साहब भी समय पर सलुम्बर नही पहुंच पाये जिससे वे भी पेशी पर हाजीर नही हो सके थे वादीगण एवं उनके वकील साहब ने पेशी पर हाजीर आने मे जान बूझकर कोई गलती नही की है। यह कि मामला कृषि भूमि के सम्बन्ध मे है जिसे यदि पुनः नम्बर पर नही लिया गया तो वादीगण को भारी क्षति होगी तथा हमेशा के लिये वादीगण न्याय से वंचित हो जावेंगे। मामले मे अभी तनकीयात भी कायम नही हुई थी जिससे उक्त मामले को पुनः नम्बर पर लिया जाने से प्रतिवादीगण को कोई क्षति होने वाली नही है। प्रार्थना पत्र अन्दर अवधि 30 दिन मे पेश है। अतः प्रार्थना है कि माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 30–10–2012 को अपास्त फरमाया जाकर वाद को पुनः सुनवाई हेतु नम्बर पर लिया जाने की कृपा करे।

प्रार्थना पत्र जांच दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को तलवी हेतु नोटिस/समन जारी किया गया। विपक्षी संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री संजय मेहता ने वकालतनामा पेश किया। शेष विपक्षी 2 लगायत 7 बावजूद सूचना के गैर–हाजिर रहने से विपक्षी संख्या 2 लगायत 7 के खिलाफ एक तरफा कार्यवाही के आदेश दिये गये। आदेशिका दिनांक 28–01–2014 को प्रार्थी संख्या 04, 05 ने प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया वाद/ प्रार्थना पत्र मे हम आगे कोई कार्यवाही नही चाहते है इसलिये प्रार्थी सं. 04, 05 उक्त प्रार्थना पत्र से एबेट किये जाने का आदेश दिया गया। वकील विपक्षी सं. 01 ने जवाब पेश नही कर सीधे बहस का निवेदन किया।

आदेशिका दिनांक 13–12–2022 को पत्रावली मे बहस सुनी गई। प्रार्थीगण के वकील ने प्रार्थना पत्र के तथ्यो को दौहराते हुए नितेदन किया कि वादीगण प्रार्थीगण एवं उनके वकील साहब ने पेशी पर हाजीर आने मे जान बूझकर कोई गलती नही की है मामला कृषि भूमि के सम्बन्ध मे है जिसे यदि पुनः नम्बर पर नही लिया गया तो वादीगण प्रार्थीगण को भारी क्षति होगी तथा हमेशा के लिये वादीगण प्रार्थीगण न्याय से वंचित हो जावेंगे तथा मामले मे अभी तनकीयात भी कायम नही हुई थी जिससे उक्त मामले को पुनः नम्बर पर लिया जाने से विपक्षीगण को कोई क्षति होने वाली नही है अतः निवेदन है न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 30–10–2012 को अपास्त फरमाया जाकर प्रार्थना पत्र को पुनः सुनवाई हेतु नम्बर पर लिया जाना फरमावे। अधिवक्ता विपक्षी संख्या 1 ने अपनी बहस मे कथन किया कि वादी द्वारा प्रस्तुत वाद मे प्रतिवादी संख्या 5, 6, 7 के साथ कुसंयोजन कर आप न्यायलय मे वाद प्रस्तुत किया जो निराधार है जिसमें वादी स्वयं के साथी वादी संख्या 3, 4, 5 न्यायालय मे उपस्थित होकर उपरोक्त वाद को विड्रो किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया था एवं कहा कि हम उपरोक्त वाद मे किसी प्रकार की कोई कार्यवाही नही चाहते है, हम अपने हिस्से की जमीन बेच चुके है एवं पैतृक बंटवाडो में आइ प्रतिवादी संख्या 1, 2, 3, 4 की जमीन में हिस्से लेने हेतु बदनियती से हमने वाद पेश किया है जिससमें हम कोई कार्यवाही नही चाहते है। तथा उक्त प्रार्थना पत्र पर भी प्रार्थी संख्या 04, 05 ने प्रकरण मे कोई कार्यवाही नही चाहने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर रखा है। अतः निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 9 एवं धारा 151 जा.दी का निरस्त फरमाया जावे।

बहस मनन की गई तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली अवलोकन से जाहिर होता है कि स्वयंम प्रार्थी संख्या 4 व 5 ने आदेशिका दिनांक 28–01–2014 उपस्थित होकर कर प्रकरण मे कार्यवाही नही चाहने बाबत् प्रार्थना पत्र पेश कर आदेशिका पर अंकित किया है जिसे स्वीकार किया जाकर प्रार्थी सं. 4, 5 को प्रार्थना पत्र से एबेट किये जाने का आदेश दिया गया। तद्पश्चात वकील प्रार्थीगण द्वारा आदेशिका दिनांक 30–09–2014 को एक प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 जा.दी. को पेश कर आदेशिका दिनांक 13–04–2022 को नोट प्रेस किया इसी प्रकार एक ओर प्रार्थना पत्र धारा–151 जा.दी. व आदेश 23 नियम 1(3) जा.दी. का दिनांक 16–02–2016 पेश किया जिसे वकील प्रार्थीगण ने आदेशिका दिनांक 21–03–2022 को नोट प्रेस किया जिससे प्रार्थीगण की मंशा मामले मे अनावश्यक विलम्ब करना प्रतीत होता

सहायक कलक्टर सलुम्बर
जिला-उदयपुर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सलुम्बर जिला –उदयपुर

बजरिये:– श्री सुरेन्द्र बी पाटीदार आर.ए.एस.

उनवान–धुलजी बनाम नाथुराम

वाद संख्या–34 / 2012

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 9 व धारा 151 जा.दी.

है। प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थीगण मय अधिवक्ता के नियत पेशी दिनांक को गैर हाजीर रहने के जो कारण प्रस्तुत किये है वे पर्याप्त एवं संतोषप्रद कारण प्रतीत नही होते है जिससे न्यायालय संतुष्ट नही है। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज योग्य है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 9 जा.दी. एंव धारा 151 जा.दी. का खारिज किया जाता है।

निर्णय दिनांक 13–12–2022 को मेरे द्वारा लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुरेन्द्र बी पाटीदार RAS)
उपखण्ड अधिकारी, सलुम्बर
जिला–उदयपुर